

संकल्प

विषय:- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं हेतु इंटर्नशिप नीति की स्वीकृति।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्तमान में 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय संचालित हैं। इन संस्थानों में सामान्य विधाओं के साथ-साथ नवीनतम एवं उभरते हुए अभियंत्रण पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण अभियंत्रण शिक्षा के साथ ही अकादमिक सत्र को विनियमित किये जाने हेतु विभिन्न प्रकार के निर्णय लिये गये हैं। इसी क्रम में डिग्री स्तरीय अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विधाओं में पाठ्यक्रमों का अद्यतनीकरण किया गया है एवं इससे संबंधित कार्रवाई नियमित रूप से जारी है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के कौशल उन्नयन एवं उन्हें उद्योग की माँग के अनुरूप योग्य बनाने हेतु विभाग द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के स्तर से विभिन्न प्रकार के नवाचारी हस्तक्षेप किये गये हैं। अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं का न केवल सैद्धांतिक उन्नयन हो, बल्कि प्रायोगिक एवं व्यावहारिक स्तर पर भी उनके कौशल का विकास हो, इस हेतु एक सुविचारित नीति बनाने की आवश्यकता है।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के बी० टेक० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के कौशल उन्नयन हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इंटर्नशिप नीति तैयार की गई है।

3. प्रस्तावित इंटर्नशिप नीति का उद्देश्य राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अपने विषय का प्रायोगिक ज्ञान बढ़ाने एवं उन्हें सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में नियोजन के प्रयोजनार्थ दक्ष बनाने हेतु इंटर्न के रूप में अवसर प्रदान करना है।

4. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में बी० टेक० (चार वर्षीय) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् सभी छात्र-छात्रा इंटर्नशिप नीति के लाभार्थी होंगे। तीसरे एवं पांचवें सेमेस्टर में क्रमशः चार एवं छः सप्ताह के इंटर्नशिप का प्रावधान है, जबकि सातवें सेमेस्टर में आठ सप्ताह का इंटर्नशिप भौतिक मोड में आयोजित होता है। सातवें सेमेस्टर के सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार की संचालित परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जायेगा। इस हेतु विभाग द्वारा एक ऑनलाईन पोर्टल विकसित किया जायेगा, जिसमें विभागों, निगमों, बोर्ड एवं सोसाइटी इत्यादि में संचालित परियोजनाओं का नाम एवं इंटर्नशिप हेतु छात्र-छात्राओं की संभावित संख्या इत्यादि से संबंधित सूचना रहेगी।

5. बिहार सरकार के अधीन विभिन्न विभागों एवं राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित निगम, बोर्ड, सोसाइटी इत्यादि द्वारा वृहद विकासात्मक परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं एवं इससे संबंधित स्थल पर सीधे कार्यान्वयन के स्तर पर छात्र/छात्राओं को सम्बद्ध किये जाने से उनके ज्ञान एवं कौशल का विकास होगा, जिससे राज्य में एक

दक्ष एवं कुशल तकनीकी मानव-बल तैयार कर सम्पूर्ण राज्य के आर्थिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। विभाग एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निगम/बोर्ड/सोसाइटी, जिनके द्वारा विकासात्मक परियोजनाएँ संचालित हैं, की परियोजनाओं में इंटर्नशिप की व्यवस्था की जायेगी।

6. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सातवीं सेमेस्टर में आठ सप्ताह के ऑफ-लाईन इंटर्नशिप करने वाले सभी छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रु० 10,000.00 (दस हजार रुपये) मात्र की राशि प्रोत्साहन स्वरूप एवं परियोजना तैयार करने हेतु दी जाएगी, जिस पर प्रति वर्ष रु० 14,00,00,000.00 (चौदह करोड़ रुपये) मात्र का व्यय अनुमानित है। छात्र/छात्राओं को यह राशि, इंटर्नशिप पूर्ण कर परियोजना प्रतिवेदन समर्पित करने और इसे संस्थान स्तर पर गठित कमिटी के मूल्यांकन के पश्चात्, उनके बैंक खाते में ऑन-लाईन हस्तांतरित की जाएगी।

7. विभिन्न विभाग/निगम/बोर्ड/सोसाइटी में संचालित परियोजनाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष इंटर्नशिप हेतु अभियंत्रण पाठ्यक्रम की शाखावार छात्र-छात्राओं की संख्या का निर्धारण विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं संबंधित विभाग/निगम/बोर्ड/सोसाइटी के साथ समन्वय से किया जायेगा।

8. प्रत्येक वर्ष योजना की लागत के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प-3758, दिनांक-31.05.2017 (समय-समय पर संशोधित) द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

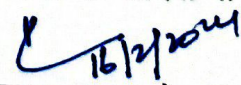
9. उक्त राशि का व्यय, वित्तीय वर्ष, 2023-24 में मांग संख्या-43 अंतर्गत राज्य स्कीम बजट के मुख्य शीर्ष -2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष -112- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष -01 01- स्नातक-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (विपत्र कोड-43-2203001120101) के अधीन उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं हेतु इंटर्नशिप नीति की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए अनुमोदित इंटर्नशिप नीति अनुलग्नक-01 के रूप में संलग्न है।

11. यह संकल्प मंत्रिपरिषद् की दिनांक-06.02.2024 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-02 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-वि०प्रा० एवं त०शि० (VI) प्र०-02/2024 के पृ०-15/टि० पर प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(मो० इब्रार आलम)

अपर सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक:-वि०प्रा० एवं त०शि० (VI) प्र०-02/24- 721 /पटना, दिनांक :- 16/2/2024
प्रतिलिपि:- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक:-वि०प्रा० एवं त०शि० (VI) प्र०-02/24- 721 /पटना, दिनांक :- 16/2/2024
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव,
मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,
बिहार,पटना/सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार,
पटना/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक:-वि०प्रा० एवं त०शि० (VI) प्र०-02/24- 721 /पटना, दिनांक :- 16/2/2024
प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

अपर सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक:-वि०प्रा० एवं त०शि० (VI) प्र०-02/24- 721 /पटना, दिनांक :- 16/2/2024
प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

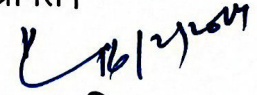
ज्ञापांक:-वि०प्रा० एवं त०शि० (VI) प्र०-02/24- 721 /पटना, दिनांक :- 16/2/2024
प्रतिलिपि:- अपर सचिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को
मन्त्रिपरिषद् की दिनांक-06.02.2024 की बैठक में मद संख्या-02 में स्वीकृत प्रस्ताव के
आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक:-वि०प्रा० एवं त०शि० (VI) प्र०-02/24- 721 /पटना, दिनांक :- 16/2/2024

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक/सभी पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

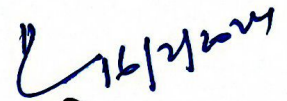


अपर सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक:-वि०प्रा० एवं त०शि० (VI) प्र०-02/24- 721 /पटना, दिनांक :- 16/2/2024

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

इंटरनशिप नीति

1. प्रस्तावना :- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्तमान में 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय कार्यशील हैं। इन संस्थानों में सामान्य विधाओं यथा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन, कम्प्यूटर साईंस में स्नातक पाठ्यक्रम के साथ-साथ अन्य विधाओं में नवीनतम एवं उभरते हुए तकनीक यथा ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साईंस, सायबर सिक्यूरिटी, सायबर सिक्यूरिटी एण्ड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, वि0एल0एस0आई0 डिजाईन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल एण्ड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एण्ड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग इत्यादि में भी पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण अभियंत्रण शिक्षा के साथ ही अकादमिक सत्र को विनियमित किये जाने हेतु विभिन्न प्रकार के निर्णय लिये गये हैं। इसी क्रम में डिग्री स्तरीय अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विधाओं में पाठ्यक्रमों का अद्यतनीकरण किया गया है एवं इससे संबंधित कार्रवाई नियमित रूप से जारी है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के कौशल उन्नयन एवं उन्हें उद्योग की माँग के अनुरूप योग्य बनाने हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के स्तर से विभिन्न प्रकार के नवाचारी हस्तक्षेप किये गये हैं। तकनीकी विधाओं में कौशल उन्नयन के दो पहलू हैं - सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक। अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं का न केवल सैद्धांतिक उन्नयन हो बल्कि प्रायोगिक एवं

व्यावहारिक स्तर पर भी उनके कौशल का विकास हो, इस हेतु एक सुविचारित नीति बनाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप करने हेतु राज्य सरकार के स्तर से अवसर उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वृहत स्तर पर विकास परक एवं आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं एवं उससे संबंधित स्थल पर सीधे कार्यान्वयन के स्तर पर छात्र-छात्राओं को सम्बद्ध किये जाने से उनके ज्ञान एवं कौशल का विकास होगा। ये विकास योजनाएँ न केवल विभिन्न विभागों द्वारा बल्कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित निगम, बोर्ड एवं सोसाइटी के स्तर पर भी क्रियान्वित है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में बी०टेक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के कौशल उन्नयन हेतु प्रस्तावित इंटर्नशिप नीति के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, इन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों, अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं एवं सरकार के अन्य विभागों, निगम, बोर्ड एवं सोसाइटी इत्यादि में परस्पर समन्वय स्थापित किया जाना है।

2. इंटर्नशिप नीति का उद्देश्य :- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अपने विषय का प्रायोगिक ज्ञान बढ़ाने एवं उन्हें सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में नियोजन के प्रयोजनार्थ दक्ष बनाने हेतु राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न परियोजनाओं में इंटर्न के रूप में अवसर प्रदान करना।

3. इंटर्नशिप की समयावधि :- बी०टेक अभियंत्रण 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है जो 8 सेमेस्टर में विभक्त है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के अधीन संचालित

पाठ्यक्रमों में तीसरे, पाँचवे एवं सातवें सेमेस्टर में इंटरनशिप का प्रावधान है जो निम्नवत् है :-

क्र०सं०	सेमेस्टर	अवधि
1	तीसरी	चार सप्ताह
2	पाँचवां	छह सप्ताह
3	सातवां	आठ सप्ताह

तीसरे एवं पांचवे सेमेस्टर में क्रमशः चार एवं छः सप्ताह के इंटरनशिप का प्रावधान है, जो आवश्यकतानुसार बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में ऑनलाईन मोड में भी संपादित होता है, जबकि इस नीति के तहत सातवें सेमेस्टर में आठ सप्ताह का इंटरनशिप भौतिक (physical) मोड में आयोजित होगा।

4. इंटरनशिप के लाभार्थी :- इंटरनशिप नीति के लाभार्थी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में बी०टेक (चार वर्षीय) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् सभी शाखाओं के सातवें सेमेस्टर की सभी छात्र-छात्राएँ होंगे। सातवें सेमेस्टर के इच्छुक छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार की संचालित परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर इंटरनशिप का अवसर प्रदान किया जायेगा।

5. इंटरनशिप के लाभ :- (i) छात्र-छात्राओं के तकनीकी एवं प्रायोगिक ज्ञान में वृद्धि (ii) छात्र-छात्राओं में कौशल एवं नेतृत्व क्षमता का विकास (iii) राज्य में एक दक्ष एवं कुशल तकनीकी मानव-बल का विकास (iv) राज्य में अवस्थित उद्योगों हेतु तकनीकी मानव-बल की सुलभता (v) छात्र-छात्राओं के नियोजन के अवसर बढ़ने से सम्पूर्ण राज्य का आर्थिक विकास में योगदान, आदि।

6. इंटरनशिप प्रदान करने वाले विभाग एवं संगठन :- वर्तमान में बिहार सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा वृहद विकासात्मक परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। विभाग के अलावा ये योजनाएँ राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित निगम, बोर्ड, सोसाइटी इत्यादि द्वारा भी क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार की परियोजनाओं

से संबंधित प्रमुख विभाग हैं — पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग इत्यादि। प्रमुख निगम में शामिल हैं— बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लि०, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि०, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लि० इत्यादि। विभाग एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निगम/बोर्ड/सोसाइटी, जिनके द्वारा विकासात्मक परियोजनाएँ संचालित हैं, की परियोजनाओं में इंटरनशिप की व्यवस्था की जायेगी।

7. इंटरनशिप हेतु प्रोत्साहन राशि :- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सातवीं सेमेस्टर में आठ सप्ताह के ऑफ-लाईन इंटरनशिप करने वाले सभी छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रु० 10,000/- (दस हजार रुपये) मात्र की राशि प्रोत्साहन स्वरूप एवं परियोजना तैयार करने हेतु दी जाएगी। छात्र/छात्राओं को यह राशि, इंटरनशिप पूर्ण कर परियोजना प्रतिवेदन समर्पित करने और इसे संस्थान स्तर पर गठित कमिटी के मूल्यांकन के पश्चात्, उनके बैंक खाते में ऑन-लाईन हस्तांतरित की जाएगी।

8. लॉजिस्टिक सहयोग :- इंटरन द्वारा लैपटॉप की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जबकि इंटरनशिप हेतु चिन्हित विभागों/निगमों/बोर्ड/सोसाइटी द्वारा कार्यस्थल पर इंटरनेट तथा प्रशिक्षण हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

9. इंटरनशिप हेतु छात्र-छात्राओं की संख्या :-

विभिन्न विभाग/निगम/बोर्ड/सोसाइटी में संचालित परियोजनाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष इंटरनशिप हेतु अभियंत्रण पाठ्यक्रम की शाखावार छात्र-छात्राओं की संख्या का निर्धारण विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं संबंधित विभाग एवं संबंधित निगम/बोर्ड/सोसाइटी के साथ समन्वय से किया जायेगा।

10. इंटरनशिप हेतु आवेदन की प्रक्रिया :- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सातवें सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को आवेदन करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल विकसित कराया जाएगा।

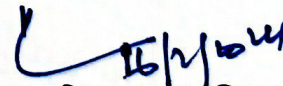
➤ उक्त पोर्टल पर विभिन्न विभागों/निगमों/बोर्ड/सोसाइटी इत्यादि में संचालित परियोजनाओं का नाम एवं इंटरनशिप हेतु छात्र-छात्राओं की संभावित संख्या, इत्यादि से संबंधित सूचना रहेगी।

➤ इस पोर्टल पर छात्र-छात्राओं द्वारा आवेदन करने पर उन्हें उनके संस्थान के निकटस्थ परियोजना में यथासंभव इंटरनशिप हेतु अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।

इस हेतु विहित प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

11. उपस्थिति एवं आचरण :- इंटरनशिप अवधि में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस अवधि में इंटरन के आचरण की समीक्षा संबंधित विभाग/निगम/बोर्ड/सोसाइटी के इंटरनशिप प्रभारी तथा संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के प्रभारी शिक्षक द्वारा की जाएगी।

12. योजना की स्वीकृति :- प्रत्येक वर्ष योजना की लागत के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प-3758, दिनांक-31.05.2017 (समय-समय पर संशोधित) द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।


अपर सचिवपर सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

बिहार, पटना